4621

क्षेत्रीय भविष्य निधि आयुक्त का कार्यालय उ० प्र०

उपक्षेत्रीय कार्यालय, वाराणसी

पंजीकृत

संख्या 2270 प्रवेतन प्रथम / यू० पी० / VM/18301. दिनांक : 5-7-95

सेवा में,

श्री M/s Kee lok security services

154/2 Salaim Sarai

Allahabad

विषय : कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबन्ध अधिनियम 1952 और उसके अन्तर्गत रचित योजनाओं का मेसर्स Kee lok security services ......पर लागू होना।

महोदय,

आपके द्वारा दिनांक 6-4-95 को प्रेषित विवरण के आधार पर और आपकी स्थापना का भविष्य निधि निरीक्षक द्वारा 6-4-95 को किए गये निरीक्षण के आधार पर स्पष्ट होता है कि :

(क) आपकी स्थापना / फैक्ट्री अर्थात मेसर्स Kee lok security services, Allahabad जो कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबन्ध अधिनियम 1952 में स्थापनाओं की श्रेणियों/वनुसूचित-1 के अनुच्छेद-1 ~~(क)~~ (ख) में शामिल Expert Service कार्य में लगी हुई है।

(ख) उक्त स्थापना / फैक्ट्री में दिनांक 1-3-95 को Twenty two व्यक्ति कार्यरत है।

(ग) इसने कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबन्ध अधिनियम, 1952 की धारा 16 (1) (ख) के उपबन्धों अंतर्गत को 3 वर्ष की प्रारम्भिक अवधि पूरी कर ली है। अतः कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबन्ध अधिनियम, 1952 और उसके अन्तर्गत रचित स्कीमें, उपरोक्त नामित स्थापना, इसके मुख्य कार्यालय और इसकी शाखाओं / विभागों पर चाहे वे एक स्थान पर है अथवा विभिन्न स्थानों पर हैं 1-3-95 तारीख से ~~स्थायी~~ / अस्थायी रूप से लागू है इसके अतिरिक्त आपके पूर्व रिकार्डों की जाँच अभी की जाएगी।

अधिनियम की धारा 1 (4) के अन्तर्गत स्वैच्छिक आधार पर कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबन्ध अधिनियम आपकी स्थापना पर लागू करने के लिए आपसे पत्र आवेदन पत्र संख्या ...... दिनांक ...... के संदर्भ में आपकी स्थापना अर्थात ...... को कोड संख्या ...... अलाट किया जा रहा है। अभी आपकी स्थापना का कार्यक्षेत्र में अस्थाई रूप से ...... लाया जा रहा है, जब तक सरकार द्वारा कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपलब्ध अधिनियम, 1952 की धारा - 1 उपधारा - 4 द्वारा प्रदत शक्तियों का उपयोग करते हुए भारत सरकार अधिसूचना जारी नहीं कर लेती।

7. कर्मचारी भविष्य निधि स्कीम, 1952 कुटुम्ब पेंशन निधि स्कीम, 1971 और निक्षेप सहबद्ध बीमा स्कीम, 1976 से सम्बन्धित सभी निर्धारित फार्म भविष्य निधि कार्यालय में उपलब्ध हैं और इन्हें निः शुल्क आपकी माँग पत्र प्राप्त होने पर दिया जाता है। नमूना फार्म संलग्न है।

8. कुटुम्ब पेंशन निधि अंशदान के सम्बन्ध में इन्हें कर्मचारी भविष्य निधि अंशदान से अलग किया जाना चाहिए और सम्बन्धित फार्मों में अलग से दिखाकर ...July-95... केवल इस माह से लेखा सं० 10 में जमा कराया जाना होता है।

9. कर्मचारी भविष्य निधि और कर्मचारी निक्षेप सहबद्ध, बीमा से सम्बन्धित ...1-4-95... से ...30-6-95... की बकाया राशि ...30-7-95... को या इससे पूर्व जमा कराना होता है।

10. यदि यह स्कीम को लागू करते समय फार्म संख्या 9 दिखाए गये कर्मचारी स्थापना की निजी भविष्य निधि स्कीम के सदस्य थे तो उनके खाते में जमा भविष्य निधि की राशि भारतीय स्टेट बैंक द्वारा रखे जा रहे कर्मचारी भविष्य निधि लेखा संख्या 1 में निर्धारित चालानों में जमा करायी जानी और चालान की तृतीय प्रति इस कार्यालय को भेजनी चाहिए। भविष्य निधि में निवेश की गई समस्त राशि से सम्बन्धित सभी प्रतिभूतियों को चार माह के अन्दर केन्द्रीय न्यासी बोर्ड, कर्मचारी भविष्य निधि के पक्ष में हस्तांतरण कर दिया जाना चाहिए और हस्तांतरित की गई इन प्रतिभूतियों को इस कार्यालय को भेज दिया जाना चाहिए। राशि के अन्तरण के सम्बन्ध में दिए गये निर्देशों से सम्बन्धित नोट संलग्न किया जा रहा है निजी भविष्य निधि के लेखों में उपलब्ध रोकड़ को इस पत्र की प्राप्ति के 30 दिनों के अन्दर अन्तरण कर दिया जाना चाहिए अन्यथा निर्धारित तिथि के बाद रोकड़ अन्तरण करने के लिए आपको निर्धारित दर से शास्तिक नुकसानी अदा करनी होगी।

कृपया पत्र व अनुलग्नकों की प्राप्ति भिजवाने की व्यवस्था करें।

भवदीय

S. K. Pandey

क्षेत्रीय भविष्य निधि आयुक्त
वाराणसी

अनुलग्नक :

1. कर्मचारी भविष्य निधि स्कीम, कर्मचारी कुटुम्ब पेंशन स्कीम, कर्मचारी निक्षेप सहबद्ध बीमा स्कीम को लागू करने से सम्बन्धित निर्देश।
2. लेखा संख्या अलाट करने से सम्बन्धित निर्देश।
3. पूर्व भविष्य निधि राशि और प्रतिभूतियों को हस्तांतरित करने से सम्बन्धित निर्देश।
4. कर्मचारी भविष्य निधि अंशदान, कुटुम्ब पेंशन अंशदान, निक्षेप सहबद्ध बीमा अंशदान की संगणना से सम्बन्धित रेडी रेकनर।
5. फार्म—5 क (तीन प्रतियों में)

प्रतिलिपि :

1. श्री/श्रीमती .... प्रवर्तन अधिकारी को अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए प्रेषित की जाती है, उनसे यह भी अनुरोध किया जाता है कि स्थापना से सम्बन्धित फार्म—5 की दो प्रतियाँ स्थापना से प्राप्त करें।
2. लेखा अनुभाग, उपक्षेत्रीय कार्यालय.................................. (× यह समझा जाता है कि इस फैक्ट्री/स्थापना के पास भविष्य निधि से सम्बन्धित ऐसी राशि उपलब्ध है / नहीं है, जिसे कर्मचारी भविष्य निधि को अंतरित किया जाना है। इस ग्रुप द्वारा रखे जा रहे अंशदान रजिस्टर में आवश्यक अभ्युक्तियों के साथ नोट किया जाय।
3. क्षतिपूर्ति शाखा.............................अनुभाग।

~~सहायक भविष्य निधि आयुक्त~~

D. Singh

कृते : क्षेत्रीय भविष्य निधि आयुक्त
वाराणसी